इस समय अत्यधिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इनकी लगभग एक-तिहाई फसल का गन्ना, चीनी मिलों द्वारा खरीद जा चुका है, परन्तु अब तक किसानों को यह जानकारी नहीं है कि उन्हें उनकी फसल का क्या मूल्य मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया है और चीनी मिलें, किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं कर रही है। इसके कारण किसान भूखमरी के कगार पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अत्यंत परेशानी में है। हरियाणा सरकार द्वारा 135 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य घोषित किया गया है, जब कि हरियाणा में चीनी की रिकवरी कम है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिकवरी अधिक है, लेकिन वहां के किसान को गन्ने का मूल्य कम मिलता है। किसान अत्याचार का शिकार हो रहा है। उसे न तो समय पर गन्ने के सही दाम मिल रहे हैं और न ही उनका सम्मान बचा है। इस तरह हालात गंभीर है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का उत्पीड़न रोके तथा रिकवरी के आधार पर 160 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव घोषित करने की कृपा करे।

श्री शरद अनंत राव जोशी (महाराष्ट्र):उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

Demand to release Gujarati Fishermen from Pakistani Jails

SHRI LEKHRAJ BACHANI (Gujarat) Sir, repeatedly the question of arrest and release of Gujarati fishermen by Pakistani authorities and also release of their mechanical boats and other vessels and property by Pakistan is being raised in the Parliament. Yet there is no permanent settlement or solution on the lines of agreement with Sri Lanka.

There was some kind of settlement a few months back with Foreign Ministry of Pakistan in respect of releasing Indian fishermen and their vessels. In spite of that, nothing is being done.

At present 210 fishermen from Gujarat are in Pakistani jails. Their 239 fishing boats are attached by Pakistan Maritimes or coastal authorities. Their relatives and Government of Gujarat have made repeated representation to External Affairs Ministry. Between 2003 and 2005,1142 fishermen of Guajrat were arrested and put in jail. Still some of them are not yet released and seized vessels are not returned.

The External Affairs Ministry is, therefore, requested to do the needful for their release and if any settlement was reached with Pakistan authorities,

then they must be reminded and directed to abide by the conditions of that settlement. Otherwise the External Affairs Ministry may try to come with some terms with Pakistan on lines of agreement with Sri Lanka Government on these points, so that such matters are settled without loss of time.

Concern over miserable condition of Indian Prisoners of War in Pakistani Jails

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान 1971 के युद्धबंदियों की दयनीय हालत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो पाकिस्तान जेलों में लम्बे समय से यातना झेल रहे हैं। देश के लिए लड़ने वाले युद्धबंदियों की रिहाई राष्ट्रीय कर्त्तव्य है, मगर राष्ट्र ने यह कर्त्तव्य नहीं निभाया। 1971 के युद्ध समाप्ति और बांग्ला देश के निर्माण के बाद शिमला समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत भारत ने 92,000 युद्धबंदियों को सौपं दिया, लेकिन पाकिस्तान ने 254 भारतीय सैनिकों में से केवल 200 युद्धबंदियों को ही रिहा किया, शेष 54 को अभी तक नहीं।

भारत सरकार ने सभी लापता सैनिकों को शहीद मान लिया और उनके परिवार वालों को समान पदक देकर पेंशन भी निर्धारित कर दी। इसका उदाहरण लापता सैन्य अधिकारी कैप्टन रविन्द्र कौड़ा है। इनके बारे में भारत सरकार ने 1979 में मरणोपरांत "वीरचक्र" देने की घोषणा की थी, जबकि लाहौर रेडियो ने कैप्टन रविन्द्र कौड़ा के युद्धबंदी होने की जानकारी प्रसारित की थी। पाकिस्तान अपनी जेलों में किसी भी भारतीय युद्धबंदी के होने से इनकार करता रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि 34 साल बीत जाने के बावजूद 54 भारतीय युद्धबंदी पाकिस्तान की जेलों में अभी भी बर्बर और अंतहीन यातनाएं झेलने को विवश हैं। 1971 के युद्ध में लापता हुए बीएसएफ के कांस्टेबल सुरजीत सिंह पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद है। इसका रहस्योदघाटन 3 दिसम्बर, 2004 को कोट लखपत जेल से चौदह साल की सजा काट कर लौटे खुशी मोहम्मद ने किया है अभी हाल ही में 600 कैदियों की अदला-बदला के तहत पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए दयाराम की स्थिति से जाहिर होता है कि हमारे युद्धबंदी किस प्रकार को यातना झेलने के लिए बाध्य है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन के दौरान जनरल मुशर्रफ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरबजीत प्रकारण पर बातचीत जरूर हुई, पर इस बातचीत में 1971 के युद्धबंदियों का सवाल गायब था।

अतःमैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 1971 के युद्धबंदियों की रिहाई का मामला पाकिस्तान सरकार से शीघ्र ही निपटाने की कृपा करें। धन्यवाद।

PROF. P.J. KURIAN (Kerala): Sir, I associate myself with the Special Mention of the hon. Member.